मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. 108 भोपाल 09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 66]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 जनवरी 2010—पौष 23, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी, 2010

क्र. 259-28-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक १ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, २०१०.

''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक १३ जनवरी २०१० को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, २००२ को संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, २०१० है. **संक्षिप्त नाम.**

मध्यप्रदेश अधिनियम (क्र. १५ सन् २००२) का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तन की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, २००२ (क्र. १५ सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा ३ और ४ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ङ) "जन शिक्षा प्रभारी" से अभिप्रेत है जन शिक्षा केन्द्र के रूप में पदाभिहित किए जाने वाले हायर सेकेण्डरी स्कूल या हाई स्कूल का प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य.".

धारा १४ का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा १४ में,—

(एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) राज्य सरकार प्रारंभिक और प्रौढ़ शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने के लिए प्रत्येक जिले में कुछ अथवा समस्त हायर सेकेण्डरी स्कूलों या हाई स्कूलों को जन शिक्षा केन्द्र के रूप में पदाभिहित करेगी.";

(दो) उपधारा (२) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ख) प्रत्येक जन शिक्षा केन्द्र में केन्द्र तथा इसके स्कूलों के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करने के लिए दो जन शिक्षक होंगे, और जन शिक्षक जिले में के शिक्षकों में से चुने जाएंगे.".

भोपाल :
तारीख : ११ जनवरी २०१०.

रामेश्वर ठाकुर
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी, 2010

क्र. 260 28-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (क्रमांक 1 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 1 of 2010.

THE MADHYA PRADESH JAN SHIKSHA (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2010

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 13th January, 2010.]

Promulgated by the Governor in the Sixtieth Year of the Republic of India.

An Ordinance to amend the Madhya Pradesh Jan Shiksha Adhiniyam, 2002.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers confeffed by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title.

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Jan Shiksha (Sanshodhan) Adhyadesh, 2010.

Madhya Pradesh Act No. 15 of 2002 to be temproarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Jan Shiksha Adhiniyam, 2002 (No. 15 of 2002) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have effect subject to the amendments specified in Sections 3 and 4.

Amendment of Section 2.

3. In Section 2 of the Principal Act, for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:—

"(e) "Jan Shiksha Prabhari" means Principal or In-charge Principal of Higher Secondary School or High School to be designated as Jan Shiksha Kendra.".

Amendment of Section 14.

4. In Section 14 of the Principal Act,—

(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The State Government shal designate few or all the Higher Secondary Schools or High Schools as Jan Shiksha Kendra in every District for improving the quality of elementary and adult Education.";

(ii) in sub-section (2), for the clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) Each Jan Shiksha Kendra shall have two Jan Shiksha to act as coordinator between the Kendra and its Schools, and the Jan Shiksha shall be selected from amongst the teachers in the district.".

BHOPAL :
DATED THE : 11th January, 2010.

RAMESHWAR THAKUR
Governor,
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.